

परिशिष्ट 'क'

(देखिए खण्ड 1)

लोकायुक्त कार्यालय के अमले की संख्या एवं संरचना

क्रम संख्या	पदों का संवर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	आयुक्त एवं सचिव	1	18400-500-22400
2.	रजिस्ट्रार	1	जिला एवं सेशन जज/अपर जिला एवं सेशन जज के अपने वेतनमान में।
3.	अवर सचिव	1	10000-13900+400 विशेष वेतन
4.	सचिव, लोकायुक्त	1	10000-13900+400 विशेष वेतन
5.	निजी सचिव	1	6500-10500+200 विशेष वेतन
6.	निजी सहायक	4	6500-9000+150 विशेष वेतन
7.	रीडर	2	6500-10500+200 विशेष वेतन
8.	अधीक्षक	1	6500-10500+200 विशेष वेतन
9.	लोक अभियोजक/उप जिला न्यायवादी	1	8000-13500
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त विभाग)	1	6500-9900+100 विशेष वेतन
11.	सहायक	4	5450-8000+60 विशेष वेतन
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	5450 8000+60 विशेष वेतन
13.	अनुवादक	1	5000-7850
14.	टाइपिस्ट/डाटा एन्ट्री आपरेटर	3	3050-4590+40 विशेष वेतन
15.	लिपिक	4	3050-4590+40 विशेष वेतन
16.	चालक	4	4000-6000+300 विशेष वेतन
17.	रिकार्ड सुपरवाइजर	1	3050-4590+30 विशेष वेतन
18.	देवान/स्वीपर/चौकीदार-कम-स्वीपर	15	2550-3200+30 विशेष वेतन
19.	कुक्क	1	2650-4000+30 विशेष वेतन
20.	माली	1	2550-3200+30 विशेष वेतन

1	2	3	4
जांच अनुयाग			
21.	पुलिस अधीक्षक	1	10000-15200
22.	पुलिस उप-अधीक्षक	1	8000-13500
23.	निरीक्षक	1	6500-9400
24.	निजी सहायक	2	5500-9000+150 विशेष वेतन
25.	सहायक उप निरीक्षक	2	4400-6000
26.	हेड कांस्टेबल	2	4000-6000
27.	सिपाही	10	3050-5325

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए खण्ड 4)

भर्ती/नियुक्ति का ढंग तथा योग्यताएं

क्रम संख्या	पदों का संवर्ग	भर्ती का ढंग	न्यूनतम योग्यताएं
1	2	3	4
1.	आयुक्त एवं सचिव	हरियाणा राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में से।	
2.	रजिस्ट्रार	हरियाणा न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा। यदि इसके लिए प्रतिनियुक्ति के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है तो यह पद विज्ञापन जारी करके सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पुनर्नियोजन द्वारा भरा जाएगा।	
3.	अवर सचिव	एच०एस०एस० अथवा एच०सी०एस० संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
4.	सचिव, लोकायुक्त	हरियाणा सचिवालय सेवा संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
5.	निजी सचिव	हरियाणा सचिवालय सेवा-II संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
6.	निजी सहायक	हरियाणा राज्य के अन्य विभागों, जहां से भी उपलब्ध हों, से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
7.	रीडर	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति द्वारा, यदि इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है तो	

1	2	3	4
		यह पद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए रीडर्स में से 65 साल की आयु या जब तक कि माननीय लोकायुक्त द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, जो भी पहले हो, तक भरा जाएगा।	
8.	अधीक्षक	हरियाणा सचिवालय सेवा-II संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
9.	लोक अभियोजक/उप-जिला न्यायवादी	अभियोजन विभाग हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त)	राज्य सरकार के वित्त विभाग (राज्य लेखा सेवाएं) से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
11.	सहायक	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
12.	वरिष्ठ आशुलिपिक	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
13.	अनुवादक	शिक्षा विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
14.	टाइपिस्ट/डाटा एन्ट्री आपरेटर	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
15.	लिपिक	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
16.	चालक	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
17.	रिकार्ड सुपरवाइजर	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, यदि इस पद के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है तो यह पद सेवानिवृत्त रिकार्ड सुपरवाइजर/रिस्टोरर से 65 साल या जब तक उसकी सेवाएं माननीय लोकायुक्त हरियाणा द्वारा अपेक्षित हैं, भरा जाएगा।	

1	2	3	4
18.	सेवादार/स्वीपर/चौकीदार-कम-स्वीपर	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या रोजगार विभाग और समाचारपत्र में विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से कान्ट्रैक्ट आधार पर।	सीधी भर्ती के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हिन्दी भाषा का ज्ञान सहित मिडल पास होगी सिवाय स्वीपर के, जो पढा लिखा हो।
19.	कुक	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या रोजगार विभाग और समाचारपत्र में विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से कान्ट्रैक्ट आधार पर।	सीधी भर्ती के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हिन्दी भाषा के ज्ञान सहित प्राइमरी पास तथा खाना बनाने का अनुभव होगी।
20.	माली	राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या रोजगार विभाग और समाचारपत्र में विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से कान्ट्रैक्ट आधार पर।	सीधी भर्ती के मामले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हिन्दी भाषा का ज्ञान सहित मिडल पास तथा बागवानी में अनुभव।
जांच अनुभाग			
21.	पुलिस अधीक्षक	राज्य सरकार जांच अनुभाग के गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
22.	पुलिस उप-अधीक्षक	राज्य सरकार के गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
23.	निरीक्षक	पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
24.	निजी सहायक	हरियाणा राज्य सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
25.	सहायक उप-निरीक्षक	पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
26.	हैड कांस्टेबल	पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
27.	सिपाही	पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	

प्रमिला ईसर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।